

Ph. 23236351, 23232701, 23237721  
23234116, 23235733, 23232317  
23236735, 23239437, 23239627



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  
बहादुरशाह जफर मार्ग  
नई दिल्ली-110 002  
UNIVERSITY GRANTS COMMISSION  
BAHADURSHAH ZAFAR MARG  
NEW DELHI-110 002

Extension No. 413 (CPP-I Colleges)  
UGC Website: [www.ugc.ac.in](http://www.ugc.ac.in)  
F. No. 8-13/2004 (CPP-I/C)

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये  
SPEED POST

August, 2011

The Registrar,  
V.B.S. Purvanchal University,  
Jaunpur – 222 002,  
Uttar Pradesh.

16 AUG 2011

**Sub:** - Declaring a College fit to receive Central Assistance under Section 12 (B) of the UGC Act, 1956.

Sir,

I am directed to refer to your letter No. 763/PU/UGC/2010 dated 25.11.2010 on the above subject and to say that it is noted that the following college is **un-aided/self financed** and **permanently** affiliated to **V.B.S. Purvanchal University**. I am further to say that the name of the following college has been included in the list of colleges prepared under Section 12 (B) of the UGC Act, 1956 under the head '**Non-Government** Colleges teaching upto **Master's Degree**' as per the decision of the Commission dated 04<sup>th</sup> May, 2010:-

Name of the College	Year of Establishment	Remarks
Mohammad Hasan Post Graduate College, Jaunpur – 222 001, (Uttar Pradesh).	1994	The college is already included under Section 2 (f) of the UGC Act, 1956 vide this office letter No. F. 8-13/2004 (CPP-I) dated 20.02.2009. The college is now granted 12 (B) status to make it eligible to receive central assistance from sources other than UGC.

The documents submitted in respect of the above College have been accepted by the University Grants Commission.


Yours faithfully,

  
(Uma Bali)

Under Secretary

Copy to:-

- ✓ The Principal, Mohammad Hasan Post Graduate College, Jaunpur – 222 001, (Uttar Pradesh).
- The Secretary, Government of India, Ministry of Human Resource Development, Department of Secondary Education & Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi – 110 001.
- The Secretary (Higher Education), Government of Uttar Pradesh, 8B, Navin Bhawan, UP Sachivalaya, Lucknow – 226 001, (Uttar Pradesh).
- The Joint Secretary, UGC, Northern Regional College Bureau (NRCB), 35, Ferozeshah Road, New Delhi – 110 001.
- Publication Officer (Website-UGC), New Delhi.
- Section Officer (F.D.-III Section), U.G.C., New Delhi.
- All Sections, U.G.C, New Delhi.
- Guard file.

  
(Sunita Gulati)  
Section Officer

Kaul Akh...  
Mr. Singh...



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  
बहादुरशाह जफर मार्ग  
नई दिल्ली-110 002  
UNIVERSITY GRANTS COMMISSION  
BAHADURSHAH ZAFAR MARG  
NEW DELHI-110 002

P.K. Sharma  
Under Secretary  
Ph. 011-23238849  
UGC Website: www.ugc.ac.in

January, 2009

F.8-13/2004 (CPP-I)

The Registrar,  
Veer Bahadur Singh Purvanchal University,  
Jaunpur (U.P.)

Sub:- List of Colleges prepared under Section 2 (f) of the UGC Act, 1956- Inclusion of New Colleges.

Sir,  
I am directed to refer to the letter dated 24.12.2008 received from the Mohammad Hasan Post Graduate College, Jaunpur (U.P.) on the subject cited above and to say that the name of the following College has been included in the list of Colleges prepared under Section 2 (f) of the UGC Act, 1956 under the head Non-Government Colleges teach upto Bachelor's Degree:-

Name of the College	Year of Establishment	Remarks
Mohammad Hasan Post Graduate College, Jaunpur (U.P.)  (On permanent affiliation)	1994	The College is not eligible to receive Central assistance in terms of the Rules framed under Section 12 (B) of the UGC Act, 1956 as the UGC has not yet finalized the details to provide financial assistance to "Self Financing Colleges"

The Indemnity Bond and other Supporting documents submitted in respect of the above College have been accepted by the Commission.

Yours faithfully  
  
(P.K. Sharma)  
Under Secretary

Copy forwarded to:-

1. The Principal, Mohammad Hasan Post Graduate College, Jaunpur (U.P).
2. The Secretary, Government of India, Ministry of Human Resource Development, Department of Secondary Education & Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi-110 001.
3. Principal Secretary, Higher Education Department, Govt. of Uttar Pradesh, Navin Bhawan, Sachivalaya, Lucknow - 226 001.
4. The Joint Secretary, UGC, Northern Regional College Bureau 35, Ferozshah Road, New Delhi.
5. Publication Officer, (JGC-Website), New Delhi Section Officer (F.D.-III Section) U.G.C., New Delhi.
6. Section Officer (F.D.-III Section) U.G.C., New Delhi.
7. All Sections, U G C, New Delhi.
8. Guard file.

(Mrs. Sunita Gulati)  
Section Officer

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,  
लखनऊ-227132

संख्या-ई.स. 2080/जी.एस.  
दिनांक: 26/10/2006

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अनु सचिव  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,  
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,  
जौनपुर।

महोदय,

आपके पत्रांक-2266/सम्बद्धता/2006 दिनांक 23-06-2006 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1963 की धारा-36 (2) के अधीन मोहम्मद हसन पी०जी० कालेज, जौनपुर को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकायान्तर्गत जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान विषयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 09-09-2006 से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-


- 1- संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2549/सत्तर-2-2003-16 (62)/2002, दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- 2- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1963 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

( विजय कुमार सिंह )  
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- 3- प्रबन्धक/प्राचार्य, मोहम्मद हसन पी०जी० कालेज, जौनपुर।

  
( विजय कुमार सिंह )  
कुलाधिपति के अनु सचिव

संख्या ई.स. 2929 /जी.एस.

तखनऊ, दिनांक ०१/०१/२००३  
(पिन कोड नं०-३२७१३२)

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,  
श्री बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,  
जौनपुर।

महोदय,

कृपया मोहम्मद हसन पी.जी. कालेज, जौनपुर को स्नातक स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के अन्तर्गत समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, शिक्षाशास्त्र, प्राचीन इतिहास, चित्रकला, मनोविज्ञान तथा रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान एवं गणित विषयों में तथा स्नातक स्तर पर ही कृषि संकाय के विषय एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत उर्दू एवं सैन्य विज्ञान विषयों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत दिनांक ०१.०७.२००३ से क्रमशः तीन व दो वर्षों हेतु इस सचिवालय के पत्र संख्या : ई.स.२२१६/जी.एस., दिनांक ८.९.२००३ द्वारा प्रदान की गयी सम्बद्धता का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि मोहम्मद हसन पी.जी. कालेज, जौनपुर को स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, शिक्षाशास्त्र, प्राचीन इतिहास, चित्रकला एवं मनोविज्ञान तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत उर्दू एवं सैन्य विज्ञान विषयों में टंकण त्रुटिवश समयावधि टंकित हो गयी है। अतः स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के उक्त विषयों में दिनांक ०१.०७.२००३ से — सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु महामहिम कुलाधिपति महोदय ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है। तदनुसार इस सचिवालय के पत्र संख्या : ई.स.२२१६/जी.एस., दिनांक ८.९.२००३ को उपरोक्तानुसार संशोधित समझा जाये। शेष विषयों के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत सम्बद्धता पूर्ववत् रहेगी।

भवदीय,

( राकेश कुमार ओझा )  
कुलाधिपति के विशेष सचिव।

संलग्नक सं०-19

संख्या: 2554/15-19-95-3/2/93

श्री चन्द्रगुप्त प्रसाद,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन,

लखनऊ में,

विशेष उच्च शिक्षा  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दिनांक 19/12/95 संख्या:

संलग्नक दिनांक 18 जनवरी, 1996

विषय:- 7070 के अगामीय महाविद्यालयों को मानकों के अनुसार अल्पसंख्यक  
संस्था घोषित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आज्ञा की जाती है कि उपरोक्त विषय में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि  
सम्बन्ध प्राप्त अगामीय महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने  
के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तंत्र संख्या-एफ-7-5/89-पीएन/जी-1111

दिनांक 5 अक्टूबर, 1989 के साथ प्राप्त निर्देशों के आधार पर शासन द्वारा  
संज्ञा संख्या सं०-296/15-19-95-3/2/93 दिनांक 4 मार्च, 1995 द्वारा प्रेषित  
उक्त निर्देशों की अधीन में कमेटी-कॉन्सिडर की गयी थी। उक्त समिति की दिनांक

14 अप्रैल, 1995 एवं दिनांक 18 दिसम्बर, 1995 को प्रदेश के अगामीय महा-  
विद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने के सम्बन्ध में विशेष उच्च शिक्षा  
की अधीन में लेख सम्मान्त हुयी। जिसमें प्रस्तावों पर विचार करने के उपरान्त  
निम्नलिखित महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने का निर्णय  
किया गया।

- 1- आर्योती कालेज, लखनऊ।
- 2- गोठ हसन डिग्री कालेज, जोनपुर।
- 3- चिचिअवन कालेज, लखनऊ।
- 4- शाही जेथाम कालेज, शाहजहाँपुर।
- 5- इस्लामिया कालेज आरु हापस, गोरखपुर।
- 6- मणिकर्णिका इस्लामिया डिग्री कालेज, लखनऊ।
- 7- सेंट एडवर्ड कालेज, गोरखपुर।
- 8- सेंट एडवर्ड हसन डिग्री महाविद्यालय, शाही।
- 9- आरु अन्वर हसन डिग्री शिक्षा डिग्री कालेज, जोनपुर।
- 10- श्री गुरु गुरु कालेज, मन्सूर।
- 11- आरु अन्वर हसन आरु आरु महाविद्यालय, उरई।
- 12- आरु अन्वर हसन कालेज, कलकत्ता।

*[Handwritten Signature]*

संलग्नक सं०-19  
जोनपुर

विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश शिक्षा  
विभाग, विशेष उच्च शिक्षा  
जोनपुर

१२१

संशोधन के लिये विषय के आधार पर उपयुक्त महाविद्यालयों को  
संशोधन प्रयोग प्रोत्साहित किया जाता है। कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित  
करना सुनिश्चित की जाये।

भारतीय  
४०/- अक्षर  
शुद्धता सुपाद  
विशेष सचिव।

Ref: P55-1/15-19-95-3/2/93 तददिनांक ।

सुनिश्चित निम्नलिखित ही सुवार्थ एवं आकांक्षित कार्यवाही हेतु

सूची :-

- 1- प्रबन्धक, आई० टी० कालेज, लखनऊ ।
- 2- प्रबन्धक, मोहम्मद हसन डिग्री कालेज, जौनपुर ।
- 3- प्रबन्धक, द्विचिंतन कालेज, लखनऊ ।
- 4- प्रबन्धक, गांधी फेज्जाम कालेज, गोरखपुर ।
- 5- प्रबन्धक, इस्लामिया कालेज, आफ बागमर, गोरखपुर ।
- 6- प्रबन्धक, अनीसुल्लाह इस्लामिया डिग्री कालेज, लालबाग, लखनऊ ।
- 7- प्रबन्धक, सेण्ट एडवर्ड कालेज, गोरखपुर ।
- 8- प्रबन्धक, श्री गुरु सचिवालय महाविद्यालय, गार्ह ।
- 9- प्रबन्धक, डॉ० अफसर हसन रिजवी मिया डिग्री कालेज, जौनपुर ।
- 10- प्रबन्धक, इलीम मुस्लिम डिग्री कालेज, गोरखपुर ।
- 11- प्रबन्धक, श्री जल्लाद सुवेन आरबी महाविद्यालय, गार्ह ।
- 12- प्रबन्धक, प्रकाश द्विचिंतन कालेज, गोरखपुर ।

आज्ञा से,  
४०/- अक्षर  
शुद्धता सुपाद  
विशेष सचिव।